डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम
बइजलास दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

1. शिवचरण पुत्र जमनालाल मीना निवासी शेखपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

वादीगण

बनाम

1. जमनालाल पुत्र गुलाब (मृतक) जाति मीना निवसी पलानहेडा तहसील महवा जिला दौसा।
   1/1 शांति देवी पुत्री जमनालाल
   1/2 सुआबाई पुत्री जमनालाल
   1/3 सुमेटी पुत्री जमनालाल
   जाति मीना निवासीयान शेखपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
2. बिजय सिंह पुत्र जमनालाल जाति मीना निवसी पलानहेडा तहसील महवा जिला दौसा।
   2/1 ऐरन्ती पत्नि विजय सिंह
   2/2 अजय कुमार पुत्र विजयसिह
   2/3 मुनेश पुत्र विजयसिह
   2/4 बसन्तरा पुत्री विजयसिह
   2/5 खुटो पुत्री विजयसिह
   2/6 कविता पुत्री विजयसिह
   नाबालिग 2 से 6 जरिये माता ऐरन्ती पत्नि विजय सिंह मीना निवासी शेखपुरा हालवासी पलानहेडा तहसील महवा जिला दौसा।
3. मनोज पुत्र जमनालाल मीना निवासी पलानहेडा तहसील महवा जिला दौसा।
4. देवचन्द पुत्र रद्दू
5. धीरसिंह पुत्र बाबू
6. शेरसिंह पुत्र बाबू
7. सतीश पुत्र बाबू
8. भगवानसिंह पुत्र बाबू
9. रामपति पत्नि बाबू
10. चौथीलाल पुत्र भौरया
11. रामगोपाल पुत्र बासी उर्फ बृजवासी
12. संतोष पुत्र बासी उर्फ बृजवासी
13. पप्पू पुत्र बासी उर्फ बृजवासी
14. सम्पति पत्नि बासी उर्फ बृजवासी
15. भम्बोली पुत्र भौदू
16. मूला पुत्र कान्जी
17. लताकुमारी पत्नि कपूरचन्द
18. साबूती देवी पत्नि हरकेश लाल
19. हरकेश पुत्र जयनारायण
20. धीरसिंह पुत्र मूलाराम

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

21. मल्ला राम पुत्र भोलाराम
22. कपूरचन्द पुत्र जैसीराम
23. किस्तूर चन्द पुत्र जैसीराम
24. माधोसिंह पुत्र जैसीराम
    समस्त जातियान मीना निवासीयान शेखपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली
25. गुलबी पुत्री बदरी पत्नि रतल्ली जाति मीना निवासी गढी पनमेडा तहसील हिण्डौन।
26. ब्रहमा पुत्री जैसीराम पत्नि प्रहलाद मीना निवासी बूथडा तहसील सपोटरा जिला करौली।
27. रूकमणी पुत्री जैसीराम पत्नि हरकेश मीना निवासी हीरापुरा तहसील गंगापुर जिला स0मा0।
28. गीता पुत्री जैसीराम पत्नि रामप्रसाद मीना निवासी ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर।
29. शाखा प्रबन्धक बी.आर.जी.बी. शाखा टोडाभीम।
30. शाखा प्रबन्धक बी.ओ.बी. करीरी।
31. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादीगण

दावा वावत इस्तकरारहक एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मु0न0 69/11

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज०

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री मदनमोहन शर्मा एडवोकेट, मिनकानिब गुदई रूबरू, सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट, रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है। कि

अतः प्रतिवादी जमनालाल जो कि फौत हो चुके है उनके नाम दर्ज खातेदारी की आराजी का उसके विधिक वारिसान के नाम नियमानुसार तहसीलदार टोडाभीम खातेदारी दर्ज करे। वादी का दावा खारिज किया जाता है।

निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 13.01.2020 को जारी की गई।

13/1/2020

दस्तखत..... उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

ओहदा.....

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 69/11 तारीख रजू:– 23.08.2011

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. शिवचरण पुत्र जमनालाल मीना निवासी शेखपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

वादीगण

बनाम

1. जमनालाल पुत्र गुलाब (मृतक) जाति मीना निवसी पलानहेडा तहसील महवा जिला दौसा।
   1/1 शांति देवी पुत्री जमनालाल
   1/2 सुआबाई पुत्री जमनालाल
   1/3 सुमेटी पुत्री जमनालाल
   जाति मीना निवासीयान शेखपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
2. बिजय सिंह पुत्र जमनालाल जाति मीना निवसी पलानहेडा तहसील महवा जिला दौसा।
   2/1 ऐरन्ती पत्नि विजय सिंह
   2/2 अजय कुमार पुत्र विजयसिह
   2/3 मुनेश पुत्र विजयसिह
   2/4 बसन्तरा पुत्री विजयसिह
   2/5 खुटो पुत्री विजयसिह
   2/6 कविता पुत्री विजयसिह
   नाबालिग 2 से 6 जरिये माता ऐरन्ती पत्नि विजय सिंह मीना निवासी शेखपुरा हालवासी पलानहेडा तहसील महवा जिला दौसा।
3. मनोज पुत्र जमनालाल मीना निवासी पलानहेडा तहसील महवा जिला दौसा।
4. देवचन्द पुत्र रद्दू
5. धीरसिंह पुत्र बाबू
6. शेरसिंह पुत्र बाबू
7. सतीश पुत्र बाबू
8. भगवानसिंह पुत्र बाबू
9. रामपति पत्नि बाबू
10. चौथीलाल पुत्र भौरया
11. रामगोपाल पुत्र बासी उर्फ बृजवासी
12. संतोष पुत्र बासी उर्फ बृजवासी
13. पप्पू पुत्र बासी उर्फ बृजवासी
14. सम्पति पत्नि बासी उर्फ बृजवासी
15. भम्बोली पुत्र भौदू
16. मूला पुत्र कान्जी
17. लताकुमारी पत्नि कपूरचन्द
18. साबूती देवी पत्नि हरकेश लाल
19. हरकेश पुत्र जयनारायण
20. धीरसिंह पुत्र मूलाराम

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

21. मल्ला राम पुत्र भोलाराम
22. कपूरचन्द पुत्र जैसीराम
23. किस्तूर चन्द पुत्र जैसीराम
24. माधोसिंह पुत्र जैसीराम
    समस्त जातियान मीना निवासीयान शेखपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली
25. गुलबी पुत्री बदरी पत्नि रतल्ली जाति मीना निवासी गढी पनमेडा तहसील हिण्डौन।
26. ब्रहमा पुत्री जैसीराम पत्नि प्रहलाद मीना निवासी बूथडा तहसील सपोटरा जिला करौली।
27. रूकमणी पुत्री जैसीराम पत्नि हरकेश मीना निवासी हीरापुरा तहसील गंगापुर जिला स0मा0।
28. गीता पुत्री जैसीराम पत्नि रामप्रसाद मीना निवासी ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर।
29. शाखा प्रबन्धक बी.आर.जी.बी. शाखा टोडाभीम।
30. शाखा प्रबन्धक बी.ओ.बी. करीरी।
31. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादीगण

दावा वावत इस्तकरारहक एवं स्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थितिः— श्री मदनमोहन शर्मा एडवोकेट (वादी)
श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट (प्रतिवादी न0 1/1 से 1/3)
श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट (प्रतिवादी न0 2/1 से 2/6 व 3)

निर्णय दिनांकः— 13.01.2020

वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम शेखपुरा के खाता संख्या 105 के ख0न0 114/0.28, 559/0.73, 698/0.32, 702/0.34, 726/0.03, 756/0.08, 760/0.22, 763/0.16, 1046/0.06, 1982/0.10, 2138/0.01, 2139/0.05, 2140/0.10, 2141/0.08,कुल किता 14 कुल रकवा 2.56 है0 की खातेदारी प्रतिवादी जमनालाल के नाम है खाता संख्या 106 के ख0न0 716/0.20, 717/0.15, 718/0.18, 719/0.24, 720/0.26 कुल किता 5 कुल रकवा 1.03 है0 मे हिस्सा 1/6 की खातेदारी प्रतिवादी जमनालाल के नाम है। शेष हिस्से की खातेदारी अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज रिकार्ड है, प्रतिवादी जमनालाल वादी के पिता है। उक्त वर्णित आराजीयात विरासत की आराजी है। वादी खाता संख्या 105 की कुल किता 14 कुल रकवा 2.56 है0 पर काबिज है। प्रतिवादी जमनालाल का नाम हजफ कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादी 1,2,3, ने अपने हिस्से का बेचान कर दिया एवं बेचान कर 13 वर्ष से ग्राम पलानहेडा मे रह रहे है। उक्त जमीन से प्रतिवादी न0 1,2,3, का कोई वास्ता नही है। इसी प्रकार खाता संख्या 106 की कुल किता 5 कुल रकवा 1.03 है0 मे हिस्सा 1/6 से प्रतिवादी जमनालाल का नाम हजफ कर खातेदार घोषित किया जावे।

यह है कि वादी एवं प्रतिवादीगण न0 1,2,3, के बुजुर्गो के नाम लगभग 28 बीघा जमीन रही है। मौके पर प्रतिवादी जमनालाल ने वादी शिवचरण एवं प्रतिवादी विजयसिंह, मनोज के बीच बटवारा कर दिया था। घरू तौर पर बटवारा करके कुल किता 14 कुल रकवा 2.56 है0 जमीन स्थित ग्राम शेखपुरा वादी को दे दी थी। 13 वर्ष से वादी इस जमीन पर काबिज काश्त है।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी जमनालाल ने ग्राम शेखपुरा की भूमि ख0न0 53/0.58, 113/0.02, 115/0.23, 724/0.23, 2152/0.08, 2191/0.18 कुल किता 6 कुल रकवा 1.61 है0 को प्रतिवादी लता कुमारी पत्नि कपूरचन्द मीना को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 8.1.2002 को विक्रय कर दिया। ख0न0 183/0.11 है0 भूमि प्रतिवादी धीरसिंह पुत्र मूलाराम मीना को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 8.1.2002 को विक्रय कर दिया। ख0न0 117/0.05, 156/0.15, 157/0.20, 158/0.11, 159/0.02,160/0.05, 161/0.17, 162/0.01, 163/0.03, 164/0.20, 117/288/0.05 कुल किता 11 कुल रकवा 1.04 है0 को प्रतिवादी मल्लाराम पुत्र भोलाराम मीना को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.10.2001 को विक्रय कर दिया। ख0न0 269/0.09, 273/0.05, 261/0.10, 262/0.09, 263/0.09 कुल किता 5 कुल रकवा 0.42 है0 प्रतिवादी चौथीलाल पुत्र भौरया मीना को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.7.2001 को विक्रय कर दिया। उक्त भूमि के बेचान से प्राप्त राशी प्रतिवादी जमनालाल, विजयसिह, मनोज ने आपस मे बराबर–बराबर हिस्सो मे बॉट ली इस राशी मे से वादी को कोई हिस्सा नही दिया। वादी को खाता संख्या 105 मे वर्णित आराजीयात 2.56 है0 को ही दिया जिस पर वादी आज तक काबिज है। इसके अतिरिक्त घरू बटवारे को लेकर उक्त आराजी की ऐवज मे प्रतिवादी जमनालाल, विजयसिंह, मनोज को एकलाख रूपये दिये जिसके बाद प्रतिवादी जमनालाल, विजयसिह, मनोज ने ग्राम शेखपुरा छोड दिया और ग्रम पलानहेडा निवास करने लग गये।

प्रतिवादी जमनालाल, विजयसिंह, मनोज दिनांक 14.8.2011 को वादी के घर आये और कहने लगे कि जमनालाल के नाम जो जमीन है उसको बेचान करेगे और बैक से ऋण लेगे। तथा वादी से एकलाख रूपये की मांग की तथा जमीन बेचने की धमकी दी। प्रतिवादी अपने नाम खातेदारी का नाजायज फायदा उठाना चाहता है। प्रतिवादी गैर कानूनी कुचेष्ठा मे कामयाब हो गये तो वादी को बडी हानी होगी। जिसकी पूर्ति नही की जा सकती इस कारण दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि खाता संख्या 105 के ख0न0 114/0.28, 559/0.73, 698/0.32, 702/0.34, 726/0.03, 756/0.08, 760/0.22, 763/0.16, 1046/0.06, 1982/0.10, 2138/0.01, 2139/0.05, 2140/0.10, 2141/0.08,कुल किता 14 कुल रकवा 2.56 है0 एवं खाता संख्या 106 के ख0न0 716/0.20, 717/0.15, 718/0.18, 719/0.24, 720/0.26 कुल किता 5 कुल रकवा 1.03 है0 मे हिस्सा 1/6 मे से प्रतिवादी जमनालाल का नाम हजफ कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा प्रवितादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि उक्त आराजीयात मे वादी के कब्जेकाश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न0 1 व 3 एवं 17, 22, 23, 24, 30 जरिये वकील उपस्थित हुये। शेष प्रतिवादी बावजूद सूचना उपस्थित नही हुये इसलिये इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी न0 1,2,3 की ओर से जबाब दावा प्रस्तुत किया कि वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार नही है। ग्राम शेखपुरा की आराजी कुल किता 14 रकवा 2.56 है0 वादी का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। नाही किसी प्रकार प्रतिवादी न0 1 जमनालाल का नाम खातेदारी से हजफ किया जा सकता है। प्रतिवादी न0 1 व 3 दोनो ही जगह रिहायश करते चले आ रहे है। खाता संख्या 106 की आराजी कुल किता 5 कुल रकवा 1.03 है0 मे प्रवितादी जमनालाल का हिस्सा 1/6 है जिससे वादी का किसी प्रकार का कोई संबध नही है। वादी एवं प्रतिवादी के मध्य कभी भी कोई बटवारा किसी प्रकार का नही हुआ है। नाही वादी द्वारा किसी प्रकार की रकम प्रतिवादीगण को दी है। वादी ने एक दावा मय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय उप जिला कलक्टर हिण्डौन मे प्रस्तुत किया जिसमे न्यायालय उप जिला कलक्टर

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

हिण्डौन ने दिनांक 14.8.2001 को टी.आई .ग्रान्ट की थी। जिसकी अपील प्रतिवादी न0 1 ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर के यहा पेश की, जिसमे दिनांक 27.12.2001 को अपील स्वीकार होकर न्यायालय उप जिला कलक्टर हिण्डौन का आदेश दिनांक 14.08.2001 निरस्त कर दिया जिसकी वादी शिवचरण द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नही की गई तथा दावा भी खारिज हो गया। इस प्रकार वादपत्र अन्तर्गत धारा 11 सी.पी.सी. के तहत रेसज्यूडिकेटा की तारीफ मे आता है। दावा खारिज योग्य है।

यह है कि वादी द्वारा प्रतिवादी न0 1 जमनालाल पिता के विरूद्व पेश किया है, जो खातेदार काश्तकार भी है। दोनो ही अनुसूचित जन जाति वर्ग के व्यक्ति है जिन पर हिन्दू ला लागू नही होता है एवं पिता के जीतेजी वे कोई क्लेम करने के हकदार नही है। तथा वादी का कब्जाकाश्त भी नही है। इसलिये वादी का दावा खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी न0 17, 22, 23, 24 की ओर से जरिये वकालतन जबाब पेश किया कि आराजी ख0न0 53, 113, 115, 724, 2152, 2191 कुल किता 6 कुल रकवा 1.61 है0 जमाबन्दी सम्वत 2058–61 मे प्रतिवादी जमना लाल के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी के सम्पूर्ण रकवा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी न0 17 लता कुमारी पत्नि कपूर चन्द मीना को दिनांक 7.01.2002 को विक्रय कर दिया है। प्रतिवादी न0 22 व 23,24 आराजीयात मे सहखातेदार है। इनके विरूद्व वादी ने कोई अनुतोष भी नही चाहा है। अतः प्रतिवादी न0 17, 22, 23, 24 की हद तक वादी का दावा खारिज किया जावे।

दौराने सुनवाई प्रवितादी न0 2 विजयसिंह के फौत हो जाने पर उनके विधिक वारिसान रिकार्ड पर लिये गये। प्रतिवादी न0 2 के कायम मुकामान प्रतिवादी न0 2/1 से 2/6 एवं प्रतिवादी न0 3 ने जरिये वकील जबाब पेश किया कि आराजी कुल किता 14 कुल रकवा 2.56 है0 पर वादी का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। प्रतिवादी न0 1 का खातेदारी से नाम हजफ कराया जाना न्याय संगत नही है इसी प्रकार खाता संख्या 106 मे वर्णित आराजीयात कुल किता 5 कुल रकवा 1.03 है0 मे प्रतिवादी न0 1 का हिस्सा 1/6 से वादी का कोई संबध किसी प्रकार से नही है। नाही प्रतिवादी न0 1 का नाम हटाया जाना न्यायसंगत है। प्रतिवादी जमनालाल की मृत्यु हो चकी है उसके कायम मुकामान पुत्र, पौत्र, पुत्री, पुत्रवधु वारिस है तथा काबिज है। जो प्रतिवादीगण है। वादी की वादपत्र मे अंकित तथ्य गलत है कभी भी कोई बटवारा नही हुआ है। नाही वादी ने किसी प्रकार की रकम प्रतिवादीगण को दी है। वादी ने एक दावा मय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय उप जिला कलक्टर हिण्डौन मे प्रस्तुत किया जिसमे न्यायालय उप जिला कलक्टर हिण्डौन ने दिनांक 14.8.2001 को टी.आई .ग्रान्ट की थी। जिसकी अपील प्रतिवादी न0 1 ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर के यहा पेश की, जिसमे दिनांक 27.12.2001 को अपील स्वीकार होकर न्यायालय उप जिला कलक्टर हिण्डौन का आदेश दिनांक 14.08.2001 निरस्त कर दिया जिसकी वादी शिवचरण द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नही की गई तथा दावा भी खारिज हो गया। इस प्रकार वादपत्र अन्तर्गत धारा 11 सी.पी.सी. के तहत रेसज्यूडिकेटा की तारीफ मे आता है। दावा खारिज योग्य है।

निम्न प्रकार तनकीयात कायम की गईः–

1. आया यह है कि वादपत्र मे मद न0 1 व 2 मे दर्ज भूमि के अलावा प्रतिवादी न0 1 ने प्रतिवादी न0 2 व 3 के हिस्से को सहमति को सहमति बनाकर विक्रय कर दिया है मद

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

न0 1 व 2 मे दर्ज भूमि पर वादी का कब्जा है प्रतिवादी न0 1 का नाम हजफ किया जावे।

(जिम्मेवादी)

2. आया यह है कि मद न0 1 मे दर्ज सम्पूर्ण भूमि एवं मद न0 2 मे दर्ज भूमि के 1/6 हिस्सा की भूमि वादी के कब्जे काश्त की है प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना है।

(जिम्मेवादी)

3. आया यह है कि मद न0 1 व 2 मे वर्णित आराजीयात प्रतिवादी न0 1 के कब्जेकाश्त एवं रिहायश की भूमि है वादी का कब्जा नही है प्रतिवादी न0 2 विजयसिंह फौत हो चुका है। सजरा गलत पेश किया है न तो भूमि का बटवारा किया है नाही वादी को दी है।

(जिम्मे प्रतिवादी)

4. आया यह है कि वादी ने प्रतिवादी न0 1 जो कि वादी का पिता है के विरूद्व मुकदमा दायर किया है दानो ही एस.टी.वर्ग के व्यक्ति है जिन पर हिन्दू लॉ प्रभावी नही होता है। पिता के जीते जी दावा करने का हकदार नही है। दावा खारिज योग्य है।

(जिम्मे प्रतिवादी)

5. आया यह है कि वादी के कब्जे के अभाव मे दावा खारिज योग्य है।

(जिम्मे प्रतिवादी)

6. आया यह है कि ख0न0 53, 115, 113, 724, 2152, 2191 कुल रकवा 1.62 है0 प्रतिवादी न0 1 ने विक्रय पत्र से विक्रय कर कब्जा करा दिया है। प्रतिवादी न0 17, 22, 23, 24 की हद तक दावा खारिज फरमाया जावे।

(जिम्मे प्रतिवादी 17, 22, 23, 24)

वादी की ओर से वादपत्र के समर्थन मे ग्राम शेखपुरा की नकल जमाबन्दी सम्वत 2066–69 प्रदर्श–1 से 10, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2063–62 प्रदर्श 11 से 16, नकल मिसल हकीयत बन्दोबस्ती मौजा शेखपुरा सम्वत 1984 प्रदर्श–17, 18, 19, व 21 नकल रजिस्टर चकबन्दी मौजा पट्टी शेखपुरा सम्वत 1997–2006 प्रदर्श–20, नकल विक्रय पत्र दिनांक 08.01.2002 प्रदर्श–22, 23 नकल विक्रय पत्र दिनांक 20.10.2001 प्रदर्श 24, नकल विक्रय पत्र दिनांक 26.07.2001 प्रदर्श 25, नकल विक्रय पत्र दिनांक 24.07.2002 प्रदर्श 26, लगान रसीद किता 8 प्रदर्श 27 से 34, नकल विक्रय पत्र दिनांक 19.09.2003 प्रदर्श 35, नकल विक्रय पत्र दिनांक 02.09.2004 प्रदर्श 36, एवं वादी का शपथ पत्र एवं गवाह संतोष का शपथ पत्र पेश किया। प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किये गये है।

वकील उभयपक्ष ने बहस करने का कथन किया जिस पर बहस सुनी गई। वादी वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान किया कि वर्णित आराजीयात पैतृक सम्पत्ति है जिसके लिये साबिक रिकार्ड मिलान क्षेत्रफल पेश किया है पूर्व मे यह आराजी वादी के बाबा गुलाब के नाम रही है। खाता संख्या 105 के कुल किता 14 रकवा 2.56 है0 भूमि पर वादी पिछले 13 वर्षो से काबिज है। वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा खाता संख्या 106 के कुल किता 5 रकवा 1.03 है0 मे हिस्सा 1/6 मे पिता का नाम हजफ करते हुये वादी को खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण ने जो भूमि बेची है उसका समस्त लाभ वादी को छोडकर पिता पुत्रो ने लिया है एडवर्स पजेशन के आधार पर भी मेरा दावा बनता है। इसलिये वादी का दावा डिक्री फरमाया जावे।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

वकील प्रतिवादीगण ने बहस मे कथन किया कि विवादित आराजीयात जमना लाल की पैतृक सम्पत्ति है। जमनालाल के तीन पुत्र एवं तीन पुत्रिया है जिनका समान अधिकार है। पैतृक सम्पत्ति मे एडवर्स पजेशन के प्रावधान लागू नही होते है। वादी ने पिता के जीवीत रहते हुये यह दावा पेश किया है चुकि अब पिता जमनालाल का देहान्त हो चुका है विरासत के आधार पर सभी उत्तराधिकारीयो का हिस्सा बनता है। जहॉ तक वादी ने ग्राम शेखपुरा की अन्य आराजीयात विक्रय कर प्राप्त राशी से ग्राम पलानहेडा मे जमीन खरीदने की बात कही है वह गलत है बल्कि ग्राम पलानहेडा मे नाना से जमीन मिली है। चुकि अब जमनालाल की मृत्यु हो चुकी है विरासत के आधार पर खातेदारी दर्ज होनी है इसलिये वादी का दावा खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया तनकीवार निर्णय इस प्रकार है:–

तनकी न0 1 व 2 का निर्णय एक साथ किया जा रहा है:– यह है कि विवादित आराजीयात ग्राम शेखपुरा के अलावा अन्य आराजीयात को प्रतिवादी न0 1 ने विभिन्न नकल विक्रय पत्र दिनांक 08.01.2002 प्रदर्श–22, 23 नकल विक्रय पत्र दिनांक 20.10.2001 प्रदर्श 24, नकल विक्रय पत्र दिनांक 26.07.2001 प्रदर्श 25, नकल विक्रय पत्र दिनांक 24.07.2002 प्रदर्श 26, नकल विक्रय पत्र दिनांक 19.09.2003 प्रदर्श 35, नकल विक्रय पत्र दिनांक 02.09.2004 प्रदर्श 36, से विभिन्न केताओ को विक्रय किया है। चुकि प्रतिवादी जमनालाल खातेदार काश्तकार था जिसे अपनी भूमि विक्रय करने का अधिकार प्राप्त था। किन्तु प्रतिवादी न0 1 द्वारा प्रतिवादी न0 2 व 3 के हिस्से को सहमति बनाकर विक्रय किये जाने का कोई साक्ष्य वादी की ओर से प्रस्तुत नही किया है। विक्रय पत्र मे प्रतिवादी जमना लाल के पुत्रो विजय सिह व मनोज के बतौर साक्षी हस्ताक्षर होने से यह नही माना जा सकता कि जमना लाल ने इनके हिस्से की भूमि का विक्रय किया गया है, वादपत्र मे वर्णित आराजीयात पर वादी द्वारा अपना कब्जा होने के संबध मे कोई साक्ष्य सबूत भी प्रस्तुत नही किये है। अतः उक्त तनकीयात बखिलाफ वादी निर्णित की जाती है।

तनकी न0 3:– यह है कि विवादित आराजीयात प्रतिवादी जमनालाल के खातेदारी की भूमि होने से कब्जा काश्त खातेदार का ही होता है, पत्रावली मे ऐसा कोई भी दस्तावेज वादी की ओर से शामिल नही कराया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि आराजीयात का तकास्मा किया गया हो और वह हिस्सा वादी को दिया गया हो। प्रतिवादी विजय सिंह फौत हो चुका है जिसके कायम मुकामान पत्रावली पर शामिल है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के हक मे निर्णित की जाती है।

तनकी न0 4:– आया यह है कि वादी ने अपने पिता जमनालाल के विरूद्व यह दावा किया है। दोनो ही अनुसूचित जन जाति वर्ग के व्यक्ति है। जिन पर हिन्दू ला लागू नही होता है पिता के जीतेजी क्लेम करने का हकदार नही है। किन्तु ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नही है। जिससे तथ्य साबित होते हो किन्तु यह सही है कि प्रतिवादी जमनालाल फौत हो चुके है जमनालाल की खातेदारी मे दर्ज आराजीयात विरासत के आधार पर जरिये नामांतकरण दर्ज होनी है। अतः यह तनकी आंशिक रूप से प्रतिवादी के हक मे निर्णित की जाती है।

तनकी न0 5:– इस तनकी का विवेचन तनकी न0 3 मे विस्तृत रूप से किया गया है।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

तनकी न0 6:– यह है कि आराजी ख0न0 53, 115, 113, 724, 2152, 2191 कुल रकबा 1.62 है0 के खातेदार जमनालाल ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.01.2002 द्वारा श्रीमति लता कुमारी पत्नि कपूरचन्द जाति मीना निवासी शेखपुरा को कर कब्जा करा दिया है। विक्रय पत्र मे इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि विक्रीत भूमि पर क्रेता को कब्जा करा दिया है। क्योकि खरीद दिनांक से ही क्रेती लता कुमारी का ही कब्जा माना जाता है। अतः यह तनकी प्रतिवादी न0 17, 22, 23, 24 के हक मे निर्णित की जाती है।

उक्त विवेचन के अनुसार प्रतिवादी जमनालाल जिसके नाम खातेदारी दर्ज है, वह फौत हो चुका है, जिसके विधिक वारिसान अपने नाम विरासत के आधार पर खातेदारी दर्ज करा सकते है। जहॉ तक विक्रय पत्र मे प्रतिवादी जमना लाल के पुत्रो विजय सिह व मनोज के बतौर साक्षी हस्ताक्षर होने से यह नही माना जा सकता कि जमना लाल ने इनके हिस्से की भूमि का विक्रय किया गया है, उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद खारिज योग्य होने से खारिज किया जाना उचित पाता हूँ।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रतिवादी जमनालाल जो कि फौत हो चुके है उनके नाम दर्ज खातेदारी की आराजी का वारिसान का नामांतकरण दर्ज कराने हेतु तहसीलदार टोडाभीम के यहॉ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते है। अतः वादी का दावा खारिज किया जाता है। खर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

13/01/2020

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज०

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.01.29 15:17:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: